Tel: 05644-260154/ 260379(O)
Fax: 05644-260419/260565

भा0कृ0अनु0प0सरसों अनुसंधान निदेशालय,
ICAR-DIRECTROTE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
सेवर, भरतपुर 321 303 (राज0)
SEWAR, BHARATPUR (RAJ.) 321 303

क्रमांक:4–41/एसपी/अनुबंध/15 दिनांक: 29–04–2016

निविदा आमंत्रण सूचना– 1

सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर में निम्नलिखित कार्यो हेतु वार्षिक अनुबंध करने हेतु सक्षम व अनुभवी वैध पंजीकृत / लाईसेंसधारी ठेका ऐजेन्सियों, जो कि राज्य या केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा पंजीकृत सक्षम ऐजेन्सियों जिन्हें कम से कम 2 वर्ष का सरकारी / अर्धसरकारी संस्थाओं / विभागो में सम्बन्धित कार्य करने का अनुभव हो तथा उनका न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार हो, से सीलबंद निविदायें आमत्रित की जाती है : –

क्रम संख्या	अनुबंध	श्रमिक प्रतिदिन	कार्य का विवरण	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर (पिछले 2 वर्ष का)
1.	उच्च कुशल श्रेणी, कुशल श्रेणी व अकुशल श्रेणी के कृषि श्रमिकों की आपूर्ति हेतु अनुबंध	100 श्रमिक प्रतिदिन	कृषि अनुसंधान कार्यो का सफलतापूर्वक निष्पादन	₹ 1000/–	₹ 60000/–	₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष

कार्य तथा अनुबंध की नियम व शर्तो का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र में होगा जिसे इच्छुक ठेकेदार इस निदेशालय से **दिनांक 13–05–2016** तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित **शुल्क राशि नगद या आई.सी.ए.आर. यूनिट डी.आर.एम.आर., भरतपुर को देय डिमांण्ड ड्राफ्ट के साथ अपनी फर्म के लेटर हैड पत्र पर आवेदन कर तथा पंजीकरण एवं वार्षिक आय की छाया प्रति लगाकर** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाओं के साथ **धरोहर राशि ₹ 60,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक जोकि आई.सी.ए.आर. यूनिट डी.आर.एम.आर., भरतपुर** को देय हो संलग्न कर **दिनांक 16–05–2016 को दोपहर 1.00 बजे तक भेज सकते हैं** या कार्यालय के टेंडर बॉक्स में डाल सकते हैं । जिन निविदाओं के साथ धरोहर राशि नहीं होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा । समय पर प्राप्त हुई निविदाओं को उसी दिन **दिनांक 16–05–2016 को दोपहर बाद 3.00 बजे उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा** । डाक में होने वाले किसी भी तरह के बिलम्ब के लिए अथवा निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त होने वाली या आधी–अधूरी भरी हुई या कटी–फटी होने पर भी उन निविदाओं पर कोई विचार नहीं करते हुए उन्हें सीधे निरस्त कर दिया जावेगा । सशर्त एवं तार/ फैक्स से भेजी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी । निविदा सूचना सम्बन्धी पूछताछ हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय दिवस में सम्पर्क कर सकते है । इस निदेशालय के निदेशक के पास कोई भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण सूचित किए हुए स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्णतया अधिकार सुरक्षित रहेगा जिसे किसी भी दशा में कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी । साथ ही निविदाऐं निरस्त करने की दशा में यह निदेशालय किसी भी निविदादाता को किसी तरह का कोई निरस्तीकरण सम्बन्धी कारण मौखिक रूप से बताने अथवा लिखित रूप से सूचित करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

अन्य विवरण के लिए हमारी वेबासाईट देखें http://www.drmr.res.in/ tenders.gov.in

प्रशासनिक अधिकारी

दर प्रतिमाह (Price Bid)

भा0कृ0अनु0प0–सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर (राज0)

क्रमांकः 4–41 / एस.पी. / अनुबन्ध / 15 / दिनांकः 29–04–2016

निविदा का ब्यौरा

निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय	:	दिनांक **16–05–2016** – 01.00 बजे दोपहर
निविदा खोलने की निर्धारित तिथि व समय	:	दिनांक **16–05–2016** – 3.00 बजे अपरान्ह तक
निविदा की वैधता अवधि	:	निविदा की दिनांक से अगले 90 दिनों तक वैध रहनी चाहिए ।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	श्रमिकों की अनुमानित संख्या	सभी विवरण सहित दर प्रतिमाह (जिसमें सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ESI एवं EPF आदि भामिल हों)
1.	कृषि अनुसंधान एवं विविध तरह के कार्यो के सफलता पूर्वक निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार दिन प्रतिदिन आधार पर अच्छे चाल चलन वाले स्वस्थ योग्य, परिश्रमी एवं अनुभवी **"उच्च कुशल श्रेणी" "कुशल श्रेणी" व "अकुशल श्रेणी"** के निम्नलिखित श्रमिको को वार्षिक ठेका अनुबन्ध में निहित शर्तोनुसार इस निदेशालय को उपलब्ध कराना।	100 श्रमिक दिवस (मेनडेज) प्रतिदिन	सभी दरें संलग्न तालिका में भरकर प्रस्तुत करें
	उच्च कुशल श्रेणी प्रयोगशाला सहायक / कार्यालय सहायक / बिजली मिस्त्री / वाहन चालक / प्लेम्बर / मेसन / बेल्डर / कारपेन्टर व कुक कम गेस्ट हाउस अटेन्टेड इत्यादि ।		
	कुशल श्रेणी कृषि अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों में निपुणता प्राप्त / मेसंन्जर कम डिस्पेचर व फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर		
	अकुशल श्रेणी ठेका कृषि श्रमिक		

नोट :–

1. वेतन एवं प्रत्येक श्रेणीवार योग्यता एवं दक्षता का विवरण संलग्न है।
2. नियमानुसार आयकर, आयकर पर सरचार्ज व सर्विस टैक्स आदि निर्धारित दरों अनुसार काटा जायेगा। जोकि सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाले सर्विस चार्ज में सम्मिलित होगा एवं नियमानुसार इसकी कटौती की जायेगी । अतः सर्विस चार्ज सहित सभी की अलग–अलग दरें स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में अंकित करें अन्यथा इसे अस्पष्ट दर मानते हुऐ निविदा को अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा ।
3. ठेकेदार एंव एजेन्सियां जिनका प्रदत **ठेका कृषि श्रमिकों की आपूर्ति में न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रू0 50.00 लाख प्रति वर्ष (पिछले दो वर्षो का) हो की, छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें ।**

<u>नियम व शर्ते</u>

1. ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्मे राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत/लाइसेन्सधारी सक्षम ऐजेन्सी या श्रम विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से श्रमिकों की आपूर्ति/कृषि कार्यो के सफल निष्पादन के लिये पंजीकृत होनी चाहियें । **वैध पंजीकृत प्रमाण–पत्र की एक अभिप्रमाणित छाया प्रति सबूत के तौर पर** निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें ।
2. ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्म को श्रमिक विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा 12(1) के अर्न्तगत न्यूनतम 100 श्रमिकों की आपूर्ति प्रतिदिन करने के लिये केन्द्र सरकार की सक्षम एजन्सी से अनुज्ञापत्र बनवाना होगा एवं किसी भी कार्य दिवस मे अनुज्ञापत्र में निहित संख्या से अधिक श्रमिक उपलब्ध नही कराने होगे । यदि किसी कार्य दिवस में अनुज्ञापत्र की संख्या से अधिक श्रमिक लगाये गये तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की स्वंय की होगी न कि इस निदेशालय की एवं उसे अनुज्ञापत्र में तदनुसार संशोधन करवाना आवश्यक होगा ।
3. ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्मो को **न्यूनतम दो वर्ष का ठेका कृषि श्रमिक आपूर्ति अनुबन्ध निष्पादन का अनुभव प्राप्त होना चाहिये अतः सभी फर्म पूर्व में कम से कम दो वर्ष का सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / विभागो में किये गये पिछले श्रमिक अनुबन्धों की प्रति आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करें।** ताकि अन्य शर्ते समान होने पर जिस फर्म को राज्य / केन्द्र के कृषि अनुसंधान केन्द्र / संस्थानों में ठेका कृषि श्रमिकों की सफलतापूर्वक एवं सन्तोषजनक आपूर्ति करने का कार्यानुभव प्राप्त होगा उस ठेका ऐजेन्सी को इस निदेशालय द्वारा वार्षिक अनुबंध देने मे वरीयता प्रदान की जा सकें ।
4. श्रमिक आपूर्ति हेतु, लिये जाने वाला सर्विस चार्ज दर पूर्ण रूपयों (रू0 प्रति सैकडा) मे <u>देनी/अंकित</u> करनी होगी । पैसे में दी गई निविदाये मान्य नही होगी । ठेकेदार के प्रत्येक बिल से नियमानुसार आयकर, आयकर पर सरचार्ज व सर्विस टैक्स आदि निर्धारित दरों अनुसार काटा जायेगा। इसके लिये ठेकेदार को अपनी आयकर खाता संख्या सूचित करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी तरह का कोई अन्य टैक्स/ कर राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर लगाया जाता है, तो यह भी ठेकदार के बिल से आवश्यक रूप से काटा जावेगा । सर्विस टैक्स उचित विभाग की जमा की प्रतिलिपि एवं भुगतान की प्रतिलिपि प्रत्येक बिल के साथ संलग्न करनी होगीं एवं ईपीएफ जमा कराने का प्रमाण की प्रति तीन माह में देय होगी।
5. निविदाकर्ता को वर्ष 2013–2014 व 2014–15 का आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।
6. यदि ठेकदार/निविदाकर्ता फर्म के विरूद्व किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किसी भी मामले में चल रही हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
7. ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्म को व्यवसायिक कृषि तथा कृषि अनुसंधान संम्बन्धी दिन प्रतिदिन आधार पर सम्पन्न होने वाले कृषि कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार **"उच्च कुशल श्रेणी" "कुशल श्रेणी"** व **"अकुशल श्रेणी"** के ठेका श्रमिक विविध तरह के कृर्षि कार्यो के सफल निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार समय समय पर उपलब्ध कराने होगे ।
8. <u>**उच्च श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले श्रमिको का निदेशालय में रखने से पूर्व उनकी पात्रत्रा/ योग्यतानुसार जॉचा जायेगा।**</u>
9. सभी श्रमिकों को मजदूरी राजस्थान सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय 1948) के अनुसार जो भी अधिक होगी, का भुगतान ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्म को निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में <u>**प्रत्येक माह की 10 तारीख तक चैक से करना आवश्यक होगा जिसका उल्लंघन करने की दशा में सख्त कार्यवाही के पात्र होगें एवं सप्ताह से अधिक देर होने पर उचित आर्थिक दण्ड भी देना होगा।**</u>
10. ठेकेदार/निविदाकर्ता फर्म को अच्छा चाल चलन रखने वाले, स्वस्थ योग्य परिश्रमी व्यस्क एवं अनुभवी श्रेणी के ठेका कृषि श्रमिक कृषि–अनुसंधान एवं व्यवसायिक कृषि कार्यों हेतु उपलब्ध कराने होगे। अगर ऐसा नही पाया गया तो बिना कोई कारण बताये सम्बन्धित ठेका श्रमिक को निदेशालय के कार्य से हटाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा एंव इस तरह हटाये गये ठेका श्रमिकों के एवज में अन्य इच्छुक योग्य कृषि श्रमिक सम्बन्धित ठेका ऐजेन्सी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराये जावेगें। किसी श्रमिक को लगाने/हटाने हेतु निदेशालय द्वारा नामित अधिकारी की सहमति लेनी होगी।

11. प्रत्येक ठेका श्रमिक को इस निदेशालय में प्रत्येक कार्य दिवस को आठ घण्टे कार्य करना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश भी व्यतीत करवाना आवश्यक होगा । इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना सम्बन्धित ठेका ऐजेन्सी का दायित्व होगा कि **इस निदेशालय में किसी एक ठेका श्रमिक को लगातार 179 दिन या वर्ष में सभी अवकाश सहित नियमानुसर 220 दिन से ऊपर नही रखा जावेगा**, इसके अतिरिक्त किसी भी ठेका श्रमिक को हटाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित हेागा ।
12. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक इस निदेशालय के कर्मचारी किसी भी दशा/परिस्थिति में नही माने जावेंगे और न ही उनके बीच किसी तरह का कोई नियोक्ता व कर्मचारी का रिश्ता ही होगा । सम्बन्धित ठेकेदार स्वंय ही अपने सभी ठेका श्रमिकों के वेतन तथा कार्य परिस्थितियों के लिये सीधे जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित ठेकेदार ही अपने ठेका श्रमिकों को किसी भी घटना–दुर्घटना घटित हो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित ठेका कृषि श्रमिक को स्वंय ही देगा ।
13. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक संस्थान के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क नही बनायेंगे । इसका उल्लंघन करने वाले ठेका श्रमिकों को कार्य से तत्काल हटाया जा सकेगा ।
14. किसी भी ठेका श्रमिक को कम भुगतान प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित ठेका श्रमिक से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर तथा सक्षम अधिकारी द्वारा करायी गयी जाचं परिणाम अनुकूल प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्व उचित एवं सख्त कार्यवाही नियमानुसर की जावेगी एवं ठेका ऐजेन्सी दोषी पाये जाने जाने की दशा में उनके पक्ष में किया गया वार्षिक ठेका (अनुबंध) भी निरस्त कर सकने का अधिकार निदेशालय के निदेशक के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा ।
15. ठेकेदार के द्वारा आपूर्ति किये गये ठेका श्रमिकों को संस्थान द्वारा नामित अधिकारियों के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में सम्बन्धित ठेका कृषि श्रमिकों को दिन प्रतिदिन सोंपे गये कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित करने होगे ।
16. ठेकेदार को प्रतिदिन आपूर्ति किये जाने वाले ठेका श्रमिकों की सूची/उपस्थिति की मूल प्रतिलिपि प्रतिदिन संबंधित प्रभारी को हस्ताक्षर कर के देनी होगी ।
17. ठेकेदार ठेका कृषि श्रमिकों के लिये उचित पानी, आराम की जगह, शौचालय, कैन्टीन आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था स्वंय करेगा । यदि इसमें से कोई सुविधा निदेशालय द्वारा दी जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा इस निदेशालय को करना होगा अन्यथा देय राशि, यदि कोई हो तो ठेकेदार के बिल से सीधे काटे जाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
18. ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके ठेका श्रमिकों द्वारा कृषि–अनुसंधान एवं अन्य विविध तरह के कार्यो को सम्पन्न करते समय निदेशालय की सम्पत्ति को कोई नुकसान नही पहुंचे और न कार्यो को अधूरा छोडकर ठेका ऐजेन्सी अन्यत्र जायेगी, अन्यथा उसके द्वारा निदे"ालय को पहुचायें गये नुकसान की भरपाई भी स्वंय सम्बन्धित ठेका ऐजेन्सी को करनी होगी । तथा उस ठेका श्रमिक की उस दिन की **अनुपस्थिति** भी लगाई जायेगी ।
19. ठेकेदार को वार्षिक अनुबन्ध देने से पूर्व, **6,00,000=00 रूपये (छः लाख रूपये मात्र) या ठेके की कुल राशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो जमानत राशि** के रूप में जमा कराने होगे । जमानत राशि ठेके के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी
20. ठेकेदार प्रत्येक माह अनुबन्ध के अनुसार देय राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रिन्टेड बिल (बीजक) तीन प्रतियों में संबंधित प्रभारियों से आवश्यक सत्यापन, बिल इन्द्राज आदि का सम्बन्धित बिलों के पीछे रिकॉर्ड कराते हुए इस निदेशालय के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा यह निदेशालय ठेका ऐजेन्सी द्वारा निष्पादित कराये गये कार्यो के संतोषजनक पाये जाने पर तथा आपूर्ति किये गये ठेका कृषि श्रमिकों की सूची से मिलान करने के बाद तथा **ठेका कृषि श्रमिकों के भुगतान की प्राप्ति रसीद सूची की छाया प्रति संलग्न करने के बाद ही बीजक का यथा सम्भव 15 दिन में भुगतान करेगा ।**
21. ठेकेदार को ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन एक्ट 1970 (केन्द्रीय) का पालन करना अनिवार्य होगा एवं श्रमिक सम्बन्धी किसी तरह को कोई विवाद होने की स्थिति में उनके उचित निपटान हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा, तथा न्यायालय द्वारा यदि कोई मुआवजा तय किया जाता है, तो

उस मुकदमें की पैरवी एवं माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे की राशि का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार को ही आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा ।

22. ठेकेदार को सभी वेतन संबंधी तथा अन्य सेवा शर्तो एवं सभी श्रमिक विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970, वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट, ई.पी.एफ, तथा एम.पी.एफ., औधौगिक विवाद एवं अधिनियम आदि कानूनी **बंधनों का पालन ठेकेदार का दायित्व होगा ।**

23. ठेकेदार को उनके द्वारा नियुक्त सभी ठेका श्रमिकों का सामान्य कानूनों के तहत वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट के तहत बीमा करवायेगी, ताकि सम्बन्धित ठेका ऐजेन्सी/ ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ अकस्मात किसी भी प्रकार की कोई घटना–दुर्घटना घटित हो जाने पर उन्हें क्षतिपूर्ति/ मुआवजा राशि प्राप्त करने सम्बन्धी लाभ भी प्राप्त हो सके । ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 की छूट के लिये आवश्यक प्रमाण–पत्र इस निदेशालय को अवश्य प्रस्तुत करना होगा ।

24. किसी भी प्रकार के व्यवधान को आपसी सहमति से सुलझाया जावेगा, फिर भी अगर कोई मतभेद रहता है, या उपरोक्त शर्तो में संदेह होने पर आर्बिटशेन एवं कन्सीलेशन अधिनियम 1996 के अर्न्तगत इस निदेशालय द्वारा मनोनीत मध्यस्थ के निर्णय को अन्तिम माना जावेगा एवं यह निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा । इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य वाद–विवाद होने पर भी निदेशालय की तरफ से भरतपुर न्यायालय क्षेत्र में ही केस मान्य होगा ।

25. ठेकेदार को अनुबन्ध करने से पूर्व अनुबन्ध की सभी नियम एवं शर्तो को नियाानुसार समतुल्य राशि के नोन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर टाईप करवाकर तथा हस्ताक्षर करवाकर कर निशिचित तिथि तक आवश्यक रूप इस निदेशालय को शीघ्र प्रस्तुत करना होगा, एवं साक्षी के भी हस्ताक्षर करवाने होगे ।

26. **अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी । जिसे आपसी सहमति के आधार पर घटाया या बढाया जा सकता है, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में 15 दिन के नोटिस पर बिना कोई कारण सूचित किये हुए ठेका समाप्त भी किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में इस निदेशालय के अनुसंधान कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर निदेशक महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वे अवधि से पूर्व भी इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि भी जब्त करले ।**

27. सर्विस चार्जेज व अन्य शर्तो के सम्बन्ध में इस निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा यदि आवश्यक एवं उचित समझा गया तो नेगोशियेशन (बातचीत) द्वारा उचित हल निकाला जा सकता है जो सम्बन्धित ठेका ऐजेन्सी को आवश्यक रूप से मान्य करना होगा ।

28. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा को **निंधारित अमानत राशि रू0 60,000/– जो कि भारतीय स्टेट बैंक पर जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (आई.सी.ए.आर. यूनिट डी.आर.एम.आर., भरतपुर** के नाम से देय हो) **सहित दिंनाक 16–05–2016 को दोपहर 01.00बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीनस्थ कय अनुभाग में सम्बन्धित कय सहायक के पास जमा कराया जाना आवश्यक होगा । दोपहर 01.00बजे के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को न तो प्राप्त ही किया जावेगा और न उसे स्वीकर किया जावेगा एवं न ही उस पर कोई विचार ही किया जायेगा** । डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा देरी से प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही उसके लिये यह निदेशालय जिम्मेदार होगा ।

29. सशर्त व तार/फैक्स से भेजी गई निविदाओ को भी स्वीकार नही किया जावेगा । इसके अतिरिक्त अधूरी भरी हुई अस्पष्ट दर वाली निविदाऐं, हस्ताक्षर रहित, निविदाओं को भी निरस्त करने का अधिकार इस निदेशालय के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशालय के निदेशक की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

30. निदेशक सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकते है तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशक की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

31. ठेकेदार के प्रत्येक माह के बीजक का भुगतान उसी अवस्था में किया जावेगा जबकि ठेकेदार उस अमुक अनुभाग में आपूर्ति किये गये ठेका कृषि श्रमिकों का सम्बन्धित अनुभाग/ विभाग प्रमुख से सम्बन्धित मासिक बीजक पर अथवा अन्य पेपर पर यह प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि उस अनुभाग में माह––––––––––––––––––––– में कुल–––––––––––––––– ठेका कृषि श्रमिक दिवसों की वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई है ।

32. निदेशक, स0अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगे तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति इस निदेशालय के निदेशक की किसी तरह की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

33. **सम्बन्धित ठेकेदार/ ठेका ऐजेन्सी आर्थिक रूप से सुदृढ होनी चाहिए । इसके लिये वर्ष 2013–14 एवं 2014–2015 का बैंक रि–कनसाइलेशन (Re-concillation) अथवा उनके बैक के मैंनेजर से बैंक के लेटर–हैड पेढ पर वर्ष में उनके खाते में सबसे अधिक रकम किस में एवं कितनी राशि जमा रही लिखवा कर निविदा पत्र के साथ लगाना होगा ।**

34. श्रमिक आपूर्ति वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये सभी सम्बन्धित श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह भुगतान Account payee चैक द्वारा अनिवार्य्र होगा ।

35. यह ठेका अहस्तांतरणीय है, जिसे किसी भी दशा में एक ठेका एजेन्सी द्वारा किसी भी दूसरी ठेका एजेन्सी हस्तांतरण नहीं किया जावेगा। ऐसी दशा में ठेका निरस्त करने, एवं जमानत जब्त करने का अधिकार निदेशालय के पास होगा।

उपरोक्त वर्णित नियमों एवं शर्तो के अलावा यदि अन्य कोई नियम या शर्त आवश्यक समझी गयी तो उन्हें भी समय समय पर सूचित करते हुए लागू कर दिया जावेगा जो सम्बन्धित ठेकेदार पर बन्धनकारी होगी ।

प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक
सरसों अनुसंधान निदशालय,
सेवर, भरतपुर (राज0)

Tel:05644-260379/ 260154(O)
Fax:05644-260419/260565

भा0कृ0अनु0प0–सरसों अनुसंधान निदेशालय,
ICAR-DIRECTROTE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
सेवर, भरतपुर 321 303 (राज0)
SEWAR, BHARATPUR (RAJ.) 321 303

The following documents are required to be enclosed with the tenders form which are the terms & conditions of the tender's document:-

a. Registeration certificate of the firm under the work contract of Central Govt./ State Govt.
b. Minimum turnover of the firm not less than **<u>Rs. 50.00 lakh (Rupees fifty lakh only)</u>** during last 2 financial years.
c. Last two years continuous experience of the firm in the field of providing agricultural labours in Central/State Government/Autonomous bodies. Provide the details in <u>enclosed tabular form</u>.
d. Certified Balance Sheet of the firm for last two years of the service contract by the Chartered Accountant.
e. Duly certified copies of the satisfactory services where the Tenderer is providing the services for the last two years.
f. Employee EPF registration certificate issued by local govt. etc.
g. Employee ESI registration certificate issued by local govt. etc.
h. The contractor/agency must have a registration with the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act. 1970. The contractor shall obtain the labour licence under this Act.
i. Nos. of staff/supervisors registerd under ESI & EPF separately. Minimum 50 nos. (Staff/Supervisors) required with their ESI & EPF contributions. Documentary proof of vouchers to be required and may be attached.
j. Service Tax registration certificate issued by the Govt. etc.
k. Successful Tenderer will have to enter into a detailed contract agreement with ICAR on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- (one hundred only).
l. Only those firm will be considered for financial bid who will qualify in the technical bid.

Note: **The technical bids and financial bids may be submitted in separate envelops to be sealed and put in main cover.**

Yours faithfully,

(Shitanshu Kumar)
Administrative Officer

Details of the minimum two years experience/ work done.

Sl.No.	Name of the Deptt./Organisation & name of contract person with Ph. No.	Period		No. of staff deployed	Remarks
		From	To		

(Authorised Signatory)

DIRECTORATE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
SEWAR, BHARATPUR – 321 303 (RAJ.)

F. NO. 4-41/SP/Contract/2015/ **Dated: 02-04- 2016**

The detail of the number of labour, educational qualification, work & responsibilities and the minimum wages of Highly Skilled, Skilled and Unskilled labour as under:

S. No.	Category of Manpower	Nos. of manpower required (Approx.)	Educational & Desirable Qualification	Responsibilities	Minimum wages to be paid
A.	**HIGHLY SKILLED**				
1.	Lab Technician	16	1. B. Sc. (Ag.) /B. Tech/ B.Sc. /equivalent 2. Working knowledge of computer 3. Minimum Experience of 1 year	Day-to-day maintenance of Lab Work, Maintenance and updates of the samples, Maintenance of any other database and systems in Computer, Assist the DRMR office in field/ lab work, any other duty assigned by the concerned staff.	Rs. 7,000/- Other charges as applicable / mandatory
2.	Office Assistant	09	(a) 10+2 from a recognized Board with good communication skill in English (written and spoken) and computer literacy. The individual should have knowledge of MS-Office Software (b) Knowledge of working with e- mail/ Internet desirable	Responsible for filing, docketing of papers received, noting and drafting on files and administrative processing of cases, any other duty assigned by Office-in-charge.	Rs. 7,000/-Other charges as applicable / mandatory
3.	Electrician	4	Matriculation & ITI (Electrical), Indemnity Bond from the Service- Providing Agency, Ability to ride bicycle/ motorcycle and minimum one year experience	Any duty assigned by Office-in-charge. related to his/her skill	Rs. 6,500/-Other charges as applicable / mandatory
4.	Driver	4	Matriculation, Indemnity Bond from the Service-Providing Agency, Driving licence for L&M vehicles, Ability to drive car, Jeep, Bus, Tractor & other farm machinery, Basic mechanical knowledge of automobiles, work experience of minimum one year	Any other general duty assigned by Office-in-charge. related to his/her skill	Rs. 6,500/-Other charges as applicable / mandatory
5.	Cook-Cum-Guest House Attendant	3	8th standard, Ability to read basic official English and Hindi word, knowledge of maintenance of records, Ability to ride bicycle and one year experience in relevant field.	Any other general duty assigned by Office-in-charge related to his/her skill	Rs. 6,500/-Other charges as applicable / mandatory
6.	Plumber	01	• Matriculation & ITI • Experience in relevant field	Any other general duty assigned by Office-in-charge related to his/her skill	Rs. 6,500/-Other charges as applicable / mandatory
7	Mason	01	8th pass & experience in relevent field	duty as assigned by the office –in-charge	Rs. 450/- Per day as per need.
8	Welder	01	8th pass & experience in relevent field	duty as assigned by the office –in-charge	Rs. 400/- Per day as per need.
9	Carpenter	01	8th pass & experience in relevent field	duty as assigned by the office –in-charge	Rs. 400/- Per day as per need.
SKILLED					
10	Messanger cum dispatcher	02	8th standard, Ability to read basic official English and Hindi word, knowledge of maintenance of records, Ability to ride bicycle and one year experience in relevant field.	Despatch of letters, distribution of orders, files etc. and any other work assigned by o/c	Rs. 5500/- P.M. Other charges as applicable/mandatory.
11	Photocopy Machine operator	01	8th standard, Ability to read basic official English and Hindi word, knowledge of maintenance of records, one year experience in relevant field.	Photocopying work & maintainenace of records etc.	Rs. 5500/- P.M. Other charges as applicable/mandatory.
12.	**UNSKILLED**	60	-----	Any general duty assigned by Office-in-charge	As per minimum wages
	TOTAL	**100**			

* As per need

SCHEDULE -III

FINANCIAL BID :

(This financial bid to be enclosed in a separate envelope with seal)

Last date of receipt of Tender : _____________ up to _________hrs.

Date of opening of Financial Bid : As per intimation.

To,

The Director
Directorate of Rapeseed Mustard Research,
Sewar, Bharatpur-321 303 (Rajasthan)

Sir,

I/We wish to submit our Tenders for **PROVIDING JOB/ WORK CONTRACT FOR HIGHLY SKILLED, SKILLED AND UNSKILLED WORKER FOR A PERIOD OF ONE YEAR AT DRMR, BHARATPUR** on the following rates :-

No.	Particulars	Rate per man per month	Monthly consolidated rate offered for	EPF	ESI	Service Tax	Service Charge	Grand Total
A.	**HIGHLY SKILLED**							
1.	LAB ASSISTANT/ OFFICE ASSISTANT	**Each**	₹ ………………	₹ …	₹……	₹……	₹……	₹ ……………
2.	COOK- CUM- GUEST HOUSE ATTENDANT/ ELECTRICIAN / DRIVER/ PLUMBER etc.	**Each**	₹……………..	₹…..	₹ …….	₹……	₹……	₹ ……………
3.	MASON/ CARPENTER/Welder	**Each**	₹…Perday…….	₹…..	₹ …….	₹……	₹……	₹ ……………
B.	**SKILLED** MESSANGER CUM DISPATCHER / PHOTOCOPY MACHIN OPERATOR	**Each**	₹ ………………	₹…	₹……	₹……	₹……	₹ ……………
C.	**UNSKILLED**	**Each**	₹ Per day……	₹…	₹……	₹……	₹….	₹ ………… .

I/We agree to forfeit the earnest money if I/ we fail to comply with any of the terms and conditions in whole or in part laid down in the Tender form.

I/We have carefully read the terms and conditions of the tender and agreed to abide by these in letter and spirit.

Signature_______________
Name & Address of the Firm______________
____
Telephone No.________________
Mobile No.________________

Annexure-I

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–अ)

फर्म / ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ....

2. निविदादाता ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का नाम व पता :

मैसर्स..

....

....

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः .... निवासः ....मोबाइल नं..............................

(ब) ई. मेल पता : ....

4. ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का विवरण : ....(साझेदारी डीड / संविधान यदि सोसाइटी है तो)

5. अधिकृत डीलरशीप / एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर : ....

6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : ....

7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस टैक्स नम्बर : ....

8. फर्म / ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : ....बैंक का आई.एफ. एस.सी. कोड नम्बर : ....बैंक खाता नम्बर : ....

9. निविदा शुल्क रू. 1000 / – रसीद नम्बर / डी0डी0 : ....दिनांक : ....यदि डी.डी. / बैंकर चैक है तो ICAR Unit-DRMR, के पक्ष में Payable at Bharatpur

10. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रू. 60,000 / – ICAR Unit DRMR के पक्ष में Payable at Bharatpur डी.डी. / बैंकर चैक नं. ....दिनांक ....बैंक का नाम ....

11. निविदा प्रपत्र को बिना कांट–छांट के साफ–सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर स्वयं / अधिकृतप्रतिनिधि / पंजीकृत डाक / त्वरित डाक / कोरियर डाक द्वारा देय तिथि **27.04.2016 को अपरान्ह 1.00** बजे से पूर्व निदेशक, सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर के Tender box में डलवावें । लिफाफे पर Annual Rate Contract for Labour Contract लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

12. विस्तृत जानकारी हेतु देंखें डी.आर.एम.आर. वेबसाइट : www.drmr.res.in@tenders .gov.in.

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE-I

TECHNICAL BID
CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page no.	Remarks
1.	Details of Cost of bid Rs. 1000/-			
2.	Details of EMD deposited for Rs. 60,000/-			
3.	Copy of Registration of firms			
4.	Copy of Registration Certificate of ESI			
5.	Copy of Registration Certificate of EPF			
6.	Copy of Service Tax Registration			
7.	Copy of PAN/TAN Card			
8.	Copy of Labour licence under contract labour (R&A) Act,1970			
9.	Experience Certificate for at least 3 year (list of clients.)			
10.	Copy of Income Tax Return for last 3 years			
11.	Audited statement from Chartered Accountant for last 2 years			
12.	Latest ESI/EPF Challan for ascertaining the number of workers has to be attached.			
13.	Minimum turnover of the firm not less than Rs. 50.00 Lakh in each of the last 2 years.			
14.	Rate quoted complies with the Minimum Wages Act. Of Govt. of India (Central Govt) with all other statutory provisions			

Detail of the Minimum 3 years experience/work done with name of clients

S. No.	Name of Client Deptt./Organisation & Name of Contact person with Ph. No.	Period		No. of staff	Remarks
		From	To		
1.					
2.					
3.					

Signature with Seal of authorized signatory of firm

Full Name of Bidder with Address & Date

____

____

Undertaking

1. I,____
   Son/Daughter/Wife/ of Shri ____
   Proprietor/Director/authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Place :
Date:

Signature & Name of the authorized Singatory with Seal of the Firm